

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्ण रेखा बहुददेशीय परियोजना/
मुख्य अभियंता, चाण्डिल कम्प्लेक्स, सुवर्ण रेखा परियोजना;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सँची, दिनांक : 04/01/22

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत उप निदेशक, क्रय निर्माण सामग्री एवं निविदा नियंत्रण, एस.पी.यू., आदित्यपुर, जमशेदपुर को सुवर्णरेखा बहुददेशीय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु रु. 4.00 लाख (चार लाख मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति सं.-46/20-21 प्र० स्वी० दिनांक 19.03.2021 (Online AA-2182 & 2184 dated. 24.03.2021)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन आवंटन संसूचित किया जाता है।

(लाख रु. में)

क्र.	मॉग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2021-22 का संशोधित बजट उपबंध	पूर्व में निर्गत आवंटन	वर्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य, / 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोग, योजना	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49C47008079612000545	3000.00	3000.00	0.00	3000.00
2.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य/ 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49C47008078912000545	3000.00	2084.043	0.00	2084.043
3.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य, / 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोग, योजना	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S47008079612000545	2000.00	1387.362	0.00	1387.362
4.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य/ 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S47008078912000545	2000.00	1925.66	0.00	1925.66
5.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य, / 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोग, योजना	13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S47008079613000545	12539.00	7500.00	00.00	7500.00
6.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य/ 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S47008078913000545	10177.00	6408.99	4.00	6412.99
7.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य, / 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोग, योजना	11- सुवर्णरेखा परियोजना (उड़ीसा/पश्चिम बंगाल की शेरार राशि), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S47008079611000545	2645.00	308.176	0.00	308.176
कुल				35361.00	22614.231	4.00	22618.231
8.	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि		मार्च, 2021 तक योजना पर कुल संशोधित व्यय (कड़िका-5)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल निर्गत आवंटन		योजना पर कुल निर्गत आवंटन	
	1284946.00		651845.870350	22618.231		674464.10135	

वर्तमान आवंटित राशि - रु चार लाख मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 वर्णित विवरणी में अंकित कार्यालय के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2021-22 में विपत्र कोड 49S47008078913000545 के अंतर्गत मूल बजट उपबंध रु. 2500.00 लाख तथा प्रथम अनुपूरक आगणन में आगणित राशि रु. 7677.00 लाख को मिलाकर संशोधित बजट उपबंध रु. 10177.00 लाख मात्र के अंतर्गत है।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

4. आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./कार्य-996/2017-46/20-21, प्र.स्वी./राँची, दिनांक 19.03.2021 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
5. परियोजना पर पूर्व में निर्गत आवंटन में से भू-अर्जन मद में अव्यवहृत राशि रु. 17216.00 लाख में से रु. 11803.10339 लाख (पूर्व में प्रतिवेदित व्यय में सम्मिलित) की राशि वित्त विभागीय परामर्श के क्रम में निर्गत विभागीय पत्रांक 5594 दिनांक 08.11.2021 के आलोक में समुचित राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा कर दिया गया है। फलस्वरूप पूर्व में प्रतिवेदित मार्च, 2021 तक परियोजना पर कुल व्यय की राशि रु. 663648.97374 लाख को रु. 651845.87035 लाख (663648.97374 - 11803.10339) के लिये संशोधित किया जाता है।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि का अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no संलग्न परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

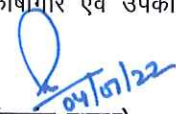
अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 219 राँची, दिनांक :- 04/01/22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषांगार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसौवा/चाईबासा/चाण्डिल/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषांगार एवं उपकोषांगार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 219

राँची, दिनांक :- 04/01/22

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास, विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :- 219

दिनांक

04/01/22

का अनुदानक

परिशिष्ट-1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष - 4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना

उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य

लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

उप शीर्ष -13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना),

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S47008078913000545

वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रथम अनुपूरक आगणन के पश्चात संशोधित बजट उपबंध रु. 10177.00 लाख मात्र।

(राशि रु. लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2021 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभियुक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उप निदेशक, क्रय निर्माण सामग्री एवं निविदा नियंत्रण, एस.पी.यू., आदित्यपुर, जमशेदपुर (SKLIR026)	चाण्डिल कॉम्पलेक्स	सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना	46/20-21 प्र० स्वी० दिनांक 19.03.2021 (Online AA-2182 & 2184 dated. 24.03.2021)	1284946.00	651845.87035	0.00	4.00	4.00	69795	
योग							0.00	4.00	4.00		
आवंटित राशि -रु चार लाख मात्र।											

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव